बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 161

नुकसान पर पाएं काबू

यह आम धारणा है कि पिछले कुछ महीनों में अचानक ही हम आर्थिक वृद्धि की समस्या से घिर गए हैं। कुछ मायनों में ऐसा हुआ भी है। मसलन, 11 महीने पहले आईएलऐंडएफएस का पतन होने के बाद हालात बिगड़ते गए। करीब उसी समय वाहन क्षेत्र की बिक्री भी कम होने लगी थी। अप्रैल में जेट एयरवेज के धराशायी होने से हवाई यात्रा के शुल्क बढ़ गए और विमान परिवहन में वृद्धि थमने लगी। इस तरह, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मौजूदा आंकड़ों पर ये भार गहरा असर डाल रहे हैं। बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली बेतरतीब घटनाओं का नतीजा होने से इनके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। फिर भी कई आंकड़े बता रहे हैं कि आज जिस अनिष्ट की आशंका जताई जा रही है उसका अंदाजा पहले भी लगाया जा सकता था। मोदी सरकार-1 में 2,769 गैर-वित्तीय कंपनियों की कुल बिक्री 34.5 फीसदी की दर से बढ़ी थी जबकि उनके शुद्ध लाभ में 20.6 फीसदी की सामान्य वृद्धि ही देखी गई थी जो इस अवधि की मुद्रास्फीति से भी कम थी। बड़ी बात यह है कि इन पांच वर्षों में परिसंपत्ति केवल 3.5 फीसदी ही बढ़ी। लगता है कि इस पर दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने का असर पड़ा क्योंकि वर्ष 2018-19 में निजी क्षेत्र की परिसंपत्ति में तीव्र गिरावट देखी गई। ये आंकड़े सरकार की तरफ से किए जा रहे 7.5 फीसदी वृद्धि के दावे का समर्थन नहीं करते हैं। अगर कोई इन पांच वर्षों में बेहतर हुए अकेले आंकड़े ऋण-इक्विटी अनुपात पर गौर करे तो इस समस्या का बड़ा कारण साफ दिखाई देता है। निजी क्षेत्र के लिए यह अनुपात 1.13 से गिरकर 0.80 पर आ गया जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का अनुपात कमोबेश अपरिवर्तित ही रहा। अगर कारोबारों का ध्यान हालात का फायदा उठाने पर है तो वे शायद ही निवेश करेंगे। यह संप्रग सरकार के समय की निवेश गलतियों की कीमत है और पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया जाना चाहिए था। लेकिन थोड़ा दोष मोदी सरकार को भी लेना होगा। वित्तीय सुधार में चुप्पी, दूरसंचार क्षेत्र में पक्षपातपूर्ण नीति और रुपये के अधिमूल्यन से निर्यात को नुकसान जैसी खामी रही है।

हालांकि नया आयकर कानून बनाने के लिए गठित कार्यबल की 2018 रिपोर्ट के इस आंकड़े के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2016-17 में कॉर्पोरेट निवेश 60 फीसदी का भारी गोता लगाते हुए 10.33 लाख करोड़ रुपये से लुढ़ककर महज 4.25 लाख करोड़ रुपये रह गया था। उसी वित्त वर्ष में नोटबंदी हुई थी। उसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन सीएमआईई के आंकड़ों से पता चलता है कि कॉर्पोरेट निवेश की योजनाएं कई वर्षों के निचले स्तर पर रहने वाली हैं। वैसे मुश्किलों से घिरे रियल एस्टेट क्षेत्र को अपनी ढेरों समस्याओं के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानना चाहिए। परंपरागत रूप से नकदी-संचालित यह कारोबार नोटबंदी और वित्तीय उथल-पुथल दोनों के प्रभाव में रहा है। एचएसबीसी का वित्तीय रुझानों संबंधी आकलन कहता है कि वर्ष 2013-14 में रियल एस्टेट क्षेत्र को नए फंड का 61 फीसदी बैंकों से मिला था। लेकिन 2017-18 आने पर यह आंकड़ा शून्य तक जा गिरा। इस सुस्ती को गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों ने थामने की कोशिश की लेकिन आईएलऐंडएफएस प्रकरण के बाद धन का टोटा पड़ जाने से ऐसा नहीं हो पा रहा है।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

बिस्कुट की बिक्री तक पर इसका असर पड़ता दिख रहा है लिहाजा कृषि एवं गैर-कृषि कार्यों की वास्तविक ग्रामीण मजदूरी के रुझान पर गौर कीजिए। वर्ष 2015-2017 के तीन कैलेंडर वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी एक फीसदी से कम और अंतिम डेढ़ वर्षों में तो 0.8 फीसदी से भी कम बढ़ी है। ऐसे में ग्रामीण मांग में सुस्ती आना अपरिहार्य ही था। सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए कुछ नीतिगत कदम उठाए हैं लेकिन इसकी अपनी राजकोषीय स्थिति तनावपूर्ण है। इस लिहाज से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जीएसटी पर आई रिपोर्ट संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है कि मोदी-1 में उठाया गया यह बड़ा सुधार महज पैबंद लगाने का काम था और राजस्व संग्रह के मोर्चे पर निराशा आगे भी जारी रह सकती है। कुल मिलाकर, मोदी सरकार-2 को अब तक हो चुके नुकसान पर काबू पाने और अपने पिछले कार्यकाल एवं संप्रग सरकारों के समय बाकी रह गए कार्यों को पूरा करने पर सारा ध्यान केंद्रित करना होगा। इस दौरान पहुंच से बाहर हो चुकी वृद्धि दर हासिल करने की कोशिश पुरानी गलतियां बढ़ाने वाली ही होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना नजरिया छोटा करना होगा और मौजूदा दौर से बाहर निकलने के तरीके के बारे में गंभीरता से सोचना होगा।

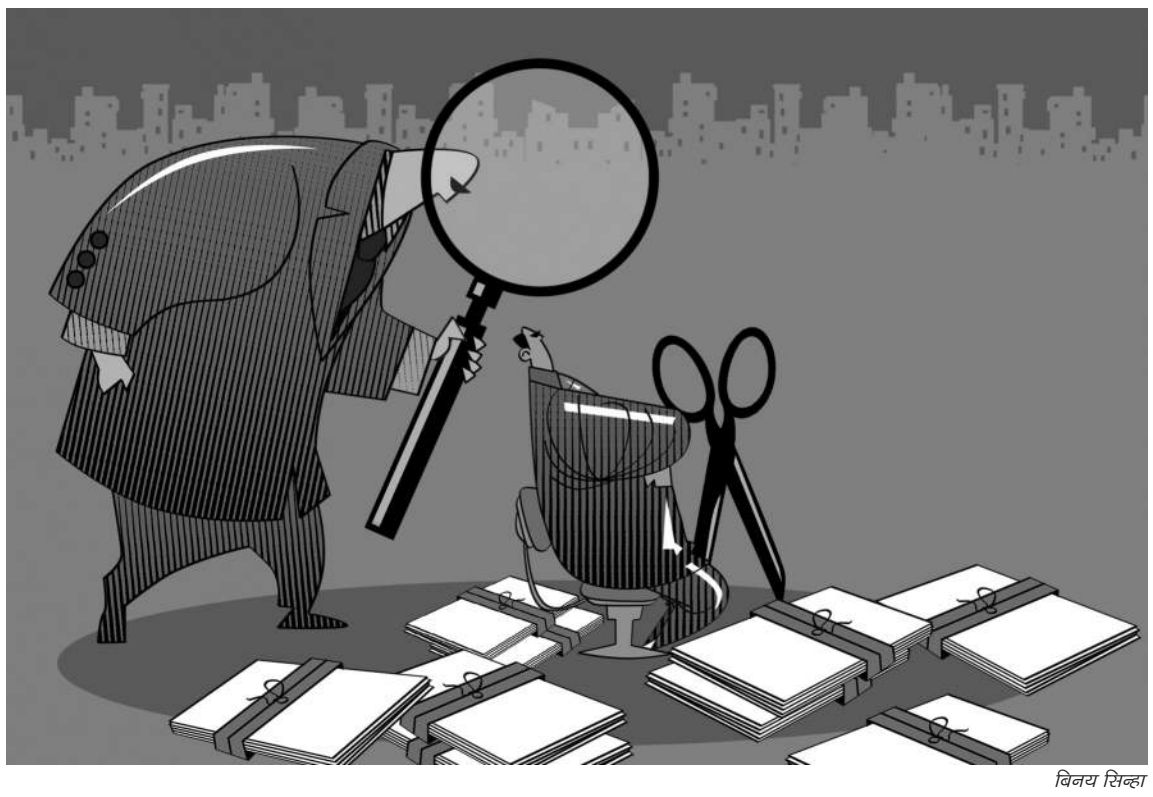

बिनय सिन्हा

कर कानूनों व व्यवहार में ही निहित है आतंक

यदि संसाधन जुटाने का बहुत अधिक दबाव नहीं हो तो कर आतंक को सीमित करना भी इतना मुश्किल नहीं होगा। इस संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं देवाशिष बसु

मार्च 2018 में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के पूर्व कर्मचारी अशोक सिंह (बदला हुआ नाम) को आयकर अधिनियम की धारा 276 सीसी के तहत एक नोटिस मिला। इसके मुताबिक वह वर्ष 2011-12 (आकलन वर्ष 2012-13) का अपना आयकर रिटर्न तय समय में दाखिल नहीं कर सके थे। इस अभियोग के दंड की बात करें तो यदि कर की राशि एक लाख रुपये से अधिक हुई तो न्यूनतम छह माह और अधिकतम 7 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना देना होता। अशोक ने 2012 में नौकरी छोड़कर एक सलाहकार कंपनी शुरू कर दी थी। वित्त वर्ष 2011-12 में उन्हें अपनी नौकरी की एक खास अवधि का ही वेतन मिला था। स्रोत पर आयकर कटौती की गई थी और नियोक्ता ने उसे चुका दिया था। शेष अवधि में उनकी आय सलाहकार सेवा से हुई थी। वर्ष 2012 में उनके परिवार में बीमारी का प्रकोप था और साथ ही नई सेवा शुरू करने के कारण काम का दबाव भी बहुत अधिक था। यही कारण था कि वह वित्त वर्ष 2011-12 (आकलन वर्ष 2012-13) का कर रिटर्न नहीं जमा कर पाए, जो उन्हें 31 अगस्त 2012 तक जमा करना था। चूंकि रिटर्न दाखिल करने का समय बीत चुका था इसलिए उन्होंने फरवरी 2015 में कर और ब्याज चुकाने के पश्चात रिटर्न भरा। स्पष्ट है कि वह कर चोरी करने वाले व्यक्ति नहीं थे और आयकर विभाग ने भी उनसे तीन वर्ष तक कुछ नहीं पूछा। उन्होंने स्वेच्छा से आगे आकर कर और ब्याज की राशि चुकाई। इसके बावजूद समन जारी कर कहा गया कि उन्होंने जानबूझकर कर नहीं चुकाया है। उन्होंने अपनी तरह से कारण स्पष्ट किया और अनुरोध किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। इसके बावजूद विभाग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार हम स्वच्छ भारत में रहते हैं जहां नेता और बाबू पवित्र और मौलिक हैं तथा हम जैसे बाकी लोगों को हर रोज सैकड़ों पुरातन कानूनों का पालन न कर पाने के लिए कड़े सबक सिखाए जाते हैं। जुलाई 2019 में अशोक घबराहट के साथ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हुए। खुशकिस्मती से उनका अधिवक्ता उन्हें जमानत दिलाने में कामयाब रहा। अब उनके सामने क्या विकल्प हैं? इस बारे में बात करने के पहले मैं कर आतंकवाद के व्यापक विषय पर बात करना चाहूंगा जिस पर इन दिनों मीडिया में खूब ध्यान दिया जा रहा है। मौजूदा सरकार के मजबूत समर्थक और इन्फोसिस के पूर्व बोर्ड सदस्य मोहनदास पई समेत अधिकांश लोग मानते हैं कि करदाताओं की समस्याओं के लिए अत्यधिक ईर्ष्यालु कर अधिकारी उत्तरदायी हैं।

हाल ही में जब प्रधानमंत्री से कर आतंकवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'यह सही है कि कर प्रशासन में कुछ गलत लोग हैं जिन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए करदाताओं को परेशान किया है। या तो उन्होंने ईमानदार करदाताओं को निशाना बनाया या फिर छोटे मोटे मामलों या प्रक्रियागत उल्लंघन के मामलों में जरूरत से ज्यादा कदम उठाए। मैंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि ईमानदार करदाताओं को परेशान न किया जाए और छोटी मोटी चूक करने वाले या प्रक्रियागत गलती करने वालों पर जरूरत से ज्यादा कड़ाई न की जाए।'

समस्या की जड़

खेद की बात है कि कर अधिकारियों को दोष देने से हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे। सरकार स्वयं समस्या है और ऐसा दो तरह से है। पहला, कर कानून और परिपत्र आदि पुरातन हैं और दिन ब दिन वे और पुरातन होते जा रहे हैं। अधिकारी तो केवल उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं। दूसरा, बड़ी समस्या हैं मंत्रालय द्वारा राजस्व संग्रह के कठिन लक्ष्य तय किया जाना। ये अधिकारियों को मजबूर करते हैं कि वे अतिरंजित कदम उठाएं। ऐसा भी होता है कि एक रुपये का भी कर दावा गंवाने पर उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। इनमें से पहले मामले को समझने के लिए हमें अशोक की स्थिति को दोबारा देखना होगा कि वह जेल जाने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। अपनी देरी की भरपाई वह 'कंपाउंडिंग' करके यानी सरकार को पैसे देकर कर सकते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि उन्हें कितनी राशि चुकानी होगी?

सरकार ने 14 जून, 2019 को धारा 276 सीसी के लिए कंपाउंडिंग शुल्क की घोषणा की। आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाने पर डिफॉल्ट की अवधि को आकलन पूरा होने की अवधि या फाइलिंग की तयशुदा तारीख मे से जो भी पहले आए उससे कम कर दिया जाएगा और कंपाउंडिंग शुल्क होगा 2,000 रुपये प्रतिदिन। एक अनुमान के मुताबिक अशोक को 16 लाख रुपये तथा कुछ अन्य शुल्क चुकाने होंगे।

यही बात एक अन्य वित्तीय सलाहकार पर लागू होती है। वह अपनी अन्य आय का एक छोटा हिस्सा दर्शाने में चूक गईं। उन्होंने स्वैच्छिक रूप से इसका खुलासा किया और बकाया चुका दिया। 10 वर्ष बाद उन्हें जेल की सजा के उल्लेख वाला एक नोटिस मिला। उन्होंने 12 लाख रुपये कंपाउंडिंग शुल्क चुकाया। मुख्य आयकर आयुक्त इस बात से सहमत थे कि यह अनुचित है लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि यही कानून है। जगह की कमी के कारण मैं और अधिक उदाहरण साझा नहीं कर पा रहा लेकिन कर सलाहकारों के पास ऐसे मामलों की सूचियां मौजूद हैं।

दूसरा मुद्दा कठिन राजस्व लक्ष्य का है। यह काफी पुराना मसला है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को कठिन लक्ष्य तय करने और कर आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। यह सरकार पिछली किसी भी सरकार से अधिक प्रतिबद्ध है। इसके नतीजों का अनुमान भी आप लगा सकते हैं। दोनों समस्याओं का हल केवल कर अधिकारियों पर लगाम लगाने में नहीं है। अगर घर की दीवार में नमी हो तो उसकी पुताई नहीं की जाती है। बल्कि यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि वह नमी कहां से आ रही है। इस मामले में मूल समस्या है सरकार का बड़ा आकार। इसकी बड़ी जरूरतें ही सरकार पर यह दबाव बनाती हैं कि वह कर अधिकारियों पर अधिक से अधिक वसूली का जोर डाले। यह दबाव दिनबदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से अवगत नहीं है। याद कीजिए सन 2014 के आम चुनाव के पहले दिया गया उनका नारा जिसमें वह न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की बात कहते थे। अगर संसाधन जुटाने का दबाव ज्यादा न हो तो ईमानदार करदाता कर आतंक से बच सकते हैं। यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है।

एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक का अंत मोदी के लिए बड़ी चुनौती

पर्यावरण
आदिति फडणीस

जून 2018 में जब नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अप्रत्याशित घोषणा की कि भारत सन 2022 तक एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल समाप्त करने की नीति अपनाएगा तो लोग हंस रहे थे। इसकी वजह भी थी। दरअसल एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को देखते हुए प्रधानमंत्री ऐसा सोच भी कैसे सकते थे? कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की लेकिन ज्यादातर मामलों में ये निरर्थक साबित हुए।

गत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन मोदी ने अपने भाषण में दोहराया कि एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का प्रयोग बंद किया जाएगा। इसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए लेकिन यह कहना जितना आसान है, इस पर अमल करना उतना ही मुश्किल।

देश में प्लास्टिक के दो पहलू हैं। एक ओर विनिर्माण समेत सरकार की पहलों और प्रयासों के कारण वाहन क्षेत्र और आधुनिक सिंचाई आदि में प्लास्टिक उत्पादों के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर एक बार प्रयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक का बढ़ता प्रयोग और उससे जुड़े प्रदूषण को लेकर बढ़ती जागरूकता के बीच राजनीतिक हितों के चलते उसका बचाव किया जा रहा है। कारण यह कि लागत की दृष्टि से संवेदनशील बाजार है जहां प्रमुख रूप से असंगठित और छोटे कारोबारी शामिल हैं।

देश और विदेश में प्लास्टिक से जुड़ी अर्थव्यवस्था किस प्रकार बढ़ी और विकसित हुई, इस बारे में विद्वान चीजों को स्पष्ट कर चुके हैं। यह बात प्लास्टिक के इस्तेमाल के बाद उस पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, इससे पता चलती है। पश्चिम में पॉलिमर और अन्य उत्पादों का प्रसार सन 1950 के दशक में आरंभ हुआ जब प्लास्टिक कचरे के प्रयोग के बाद की चुनौतियों को लेकर जागरूकता अधिक नहीं थी। परंतु हमारे देश में प्लास्टिक उद्योग की वृद्धि उस समय हुई जब सन 1970 और 1980 के दशक में इसके पर्यावरण प्रभाव को लेकर जागरूकता बढ़ने लगी थी। इसलिए इस उद्योग में वृद्धि के साथ-साथ इन उत्पादों का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों की प्रतिष्ठा का जोखिम भी बढ़ने लगा। बहरहाल, औपचारिक पुनर्चक्रण उद्योग भी इससे कदमताल नहीं कर सका क्योंकि किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं जुड़ा है। सबसे उल्लेखनीय आंकड़े दिल्ली के पैकेजिंग सामग्री क्षेत्र से मिलते हैं जो प्लास्टिक उद्योग का सबसे लोकप्रिय क्षेत्र भी है। स्वयंसेवी संगठनों के शोध के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 660 ऐसी कंपनियां हैं जो एकल प्रयोग वाला प्लास्टिक बनाती हैं। जबकि 1,242 कंपनियां प्लास्टिक का आयात और निर्यात करती हैं। केवल 272 ऐसी संस्थाएं हैं जो औपचारिक रूप से प्लास्टिक के पुनर्चक्रण और पुन:प्रसंस्करण से जुड़ी हैं।

दुनिया की जो 10 नदियां विश्व का 90 प्रतिशत प्लास्टिक समुद्र तक ले जाती हैं, वे सभी भारत में बहती हैं। इनमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र शामिल हैं। जनवरी 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के शहर हर रोज 15,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न कर रहे थे। 10 टन प्रति ट्रक के हिसाब से यह कचरा 1,500 ट्रक के बराबर था। इसमें से 9,000 टन प्लास्टिक का संग्रह कर उसका पुनर्चक्रण कर लिया जाता जबकि शेष 6,000 टन कचरा यानी 600 ट्रक कचरा नालियों, गलियों या कूड़े के ढेर पर पड़ा रहता है। प्लास्टिक कचरे का 66 फीसदी पॉलिबैग या पाउच के रूप में होता है जिनका इस्तेमाल खाना पैक करने में किया जाता है।

देश में सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा दिल्ली में उत्पन्न होता है। इसके बाद कोलकाता और अहमदाबाद आते हैं। सन 2017 में लोकसभा में प्लास्टिक कचरे से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए तत्कालीन पर्यावरण राज्य मंत्री महेश शर्मा ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि ये तीनों शहर एक दिन में 4,059 टन प्लास्टिक उत्पन्न करते हैं। प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में सबसे बड़ी बाधा है कचरे को अलग-अलग न करना। शहर-शहर का भी अंतर है। सूरत में शहर के कुल कचरे में प्लास्टिक 12.47 प्रतिशत है जबकि चंडीगढ़ में केवल 3.1 प्रतिशत। प्लास्टिक की बोतलें आसानी से पुनर्चक्रित की जा सकती हैं लेकिन कचरा बीनने वालों को प्लास्टिक की थैली एकत्रित करने के लिए अलग से कोई प्रोत्साहन नहीं है। एक किलो प्लास्टिक थैली एकत्रित करने में बहुत अधिक मेहनत लगती है जबकि बदले में कुछ नहीं मिलता। नतीजा, इसे लेकर सुस्ती बरती जाती है।

इस बीच, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के छोटे विनिर्माता विरोध जता रहे हैं। महाराष्ट्र प्लास्टिक ऐंड थर्मोकोल प्रोडक्ट्स ने मार्च 2018 में एक अधिसूचना जारी की जिसके तहत प्लास्टिक बैग और कटलरी के साथ-साथ प्लास्टिक की पैकिंग पर रोक लगाई गई। परंतु इस अधिसूचना के बाद बिना विकल्प सुझाए एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक के निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं पर अत्यधिक कड़ाई होने लगी। यह प्रतिबंध फेंके जाने वाले प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर था। इसमें छोटी बोतल, बैग, प्लेट, कटलरी, स्ट्रॉ आदि शामिल थे। इनके निर्माण और बिक्री पर जुर्माना और तीन महीने तक की जेल का प्रावधान था। प्रतिबंध के पहले सप्ताह में 300 से अधिक प्लास्टिक बैग बनाने वाले निर्माताओं को बंदी का सामना करना पड़ा। इससे हजारों लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए।

प्लास्टिक निर्माताओं, दूध उत्पादकों, छोटे कारोबारियों, पेप्सी और कोका-कोला जैसी कंपनियों तथा एमेजॉन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के अनुरोध पर सरकार ने नियम शिथिल कर दिए, जिससे उन्हें विकल्प तलाशने का समय मिल गया।

एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक को खत्म करना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की असली परीक्षा होगी। क्या मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं को एकल प्रयोग प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने के लिए मना पाएंगे?

कानाफूसी

अतीत और भविष्य

कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति में वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के सिलसिले की शुरुआत पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित केडी जाधव स्टेडियम से की। यह स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में स्थित है। इस कार्यक्रम के आयोजन का नेतृत्व पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के हाथ में है। आयोजकों ने इस अवसर पर बोलने के लिए पार्टी के युवा चेहरों को चुना। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने समापन भाषण दिया। जबकि इस अवसर पर बोलने वाले अन्य नेताओं में मीनाक्षी नटराजन, गौरव गोगोई और अमरिंदर सिंह राजा बराड़ शामिल थे। पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष बराड़ ने अपने भाषण में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूरा समर्थन दें और सत्ता का लालच त्याग दें। उनके भाषण पर सोनिया गांधी को खूब तालियां बजाते देखा गया। श्रोताओं में से कई लोगों ने राहुल गांधी के पक्ष में नारे भी लगाए। बराड़ की अपील चकित करती है क्योंकि कई पार्टी नेता अब मानने लगे हैं कि पार्टी को भविष्य के लिए प्रियंका गांधी पर भरोसा करना चाहिए।

आपका पक्ष

भारतक्राफ्ट पोर्टल के समक्ष चुनौतियां

सरकार भारतक्राफ्ट पोर्टल उतारने की योजना बना रही है। यह पोर्टल छोटी तथा मझोली कंपनियों के उत्पादों को ई-कॉमर्स की तरह एक मंच प्रदान करेगा जहां ग्राहक उनके उत्पादों की ऑनलाइन खरीदारी कर सकेंगे। इस समय कई ई-कॉमर्स कंपनियां विभिन्न कंपनियों के उत्पाद अपने पोर्टल पर बेच रही हैं। इनमें फ्लिपकार्ट तथा एमेजॉन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां प्रमुख हैं। ई-कॉमर्स की इन दो प्रमुख कंपनियों का बाजार अरबों रुपये तक पहुंच चुका है तथा ये काफी लोकप्रिय हो गई हैं। इसके शीर्ष पर पहुंचने की वजह उत्पाद को सस्ती दर पर बेचना है। इन दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर विभिन्न कंपनियों के उत्पाद बाजार की दर से काफी सस्ते मिल जाते हैं। इस वजह से लोग बाजार

या मॉल में खरीदारी करने के बजाय इन्हें अधिक तवज्जो देते हैं। अगर देश की छोटी तथा मझोली कंपनियों के उत्पाद बेचने के लिए सरकार भारतक्राफ्ट पोर्टल शुरू करती है तो उन्हें इन चुनौतियों से निपटना होगा। अगर हम देश में निर्मित खादी वस्त्र की बात करें तो ये काफी महंगे होते हैं तथा इसके ग्राहक कम ही मिलते हैं। वहीं देश की छोटी तथा मझोली कंपनियों द्वारा निर्मित उत्पादों की बात करें तो वे कीमत के मामले में शायद ही इन ई-कॉमर्स कंपनियों के सामने टिक पाएं। अत: सरकार का यह प्रयास छोटी तथा मझोली कंपनियों को एक उम्मीद जगाएगी कि उनके उत्पाद को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल सकेगा।

छोटी तथा मझोली कंपनियों के उत्पाद बेचने के लिए भारतक्राफ्ट पोर्टल शुरू करने की योजना

आनंद कुमार, नई दिल्ली

घाटी को स्वर्ग बनाए रखने का प्रयास

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान खत्म करने और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद वहां शांति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी ओर कश्मीर की दुर्गम घाटी को देश की अन्य जगहों से जोड़ने के लिए रेलवे भी कड़ी मेहनत कर रहा है। रेलवे बारामूला-उधमपुर रेल लाइन परियोजना को पूरी करने के लिए तेजी से काम करने में जुट गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस क्षेत्र का विकास करना हो वहां सड़क बना दी जाए तो उस क्षेत्र के विकास में अधिक समय नहीं लगता है। सड़क बनने से लोगों की आवाजाही होती है तथा विकास वहां पहुंच जाता है। इसका अर्थ यह है कि लोगों की आवाजाही जरूरी है और रेलगाड़ी के पहुंचने से यह काफी सुगम हो जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी यही समस्या है। वहां आवागमन दुर्गम होने के साथ काफी महंगा है जिससे वहां का विकास धीमी गति से हो रहा उस क्षेत्र के विकास पर भी जोर दिए जाने की जरूरत है।

निमिशा कुमारी, नोएडा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।